(c) when the proposed legislation is likely to be brought before Parliament; and

(d) what are the names of States which have so far adopted the Model Rent Control Legislation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) and (b) The amendments to the Delhi Rent Control Act on the lines of the Model Rent Control Legislation have been finalised.

(c) The proposed legislation can be introduced in Parliament only after the Constitution Amendment Bill providing for establishments of Rent Tribunals is enacted.

(d) The Model Rent Control Law formulated by Central Government has been circulated among all the States in July, 1992, advising them to adopt the Model Law or amend the existing State Rent Laws on the lines of the Model Law with such modifications, as may be necessary to suit local situations. So far State Govt. has reported the adoption of the Model Law/amendment of the State Law.

Sale/Transfer of Indusrial Plots in Delhi

3469. SHRI ANANT RAM JAISWAL:
SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have fixed the amount to be paid in the event of sale or transfer of industrial plots in Delhi;

(b) if so, what are the rates so fixed area-wise;

(c) the consideration which weighed with Government to fix such rates;

(d) whether Government will make any criteria to provide Industrial Plots to economically weaker sections and unemployed persons for their self-employment;

(e) if so, the decisions taken in this regard; and

(f) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) and (b) Yes, Sir. The Govt. of National Capital Territory of Delhi has reported that it has fixed the amount of 50 per cent of unearned increase in the value of plot consequent upon sale/transfer of industrial plots allotted by the Department of Industries in the Industrial Areas as under:

Name of Scheme	Amount Payable per sq. mtr.
Okhla Industrial Area Phase II & III	Rs. 1350/-
Functional Industrial Estate Patpatganj	Rs. 1500/-
Badli Industrial Estate	Rs. 650/-

(c) In terms of clause 5 of the convenant II of the perpetual lease deed, the Lessor/Lt. Governor, Govt. of National Capital Territory of Delhi is inter-alia entitled to claim and recover 50 per cent of the unearned increase in the name of the industrial plot at the time of sale, transfer, etc.

(d) No Sir.

(e) Question does not arise in view of reply to part 'd' above.

(f) Govt. of National Caiptal Territory of Delhi has taken a decision not to develop any more industrial plots in the Union Territory of Delhi.

उत्तर प्रदेश में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों संबंधी प्रस्ताव

3470. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने शहरों की गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों के संबंध में किसी प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उपरोक्त योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) शहरी स्लमों के पर्यावरणीय सुधार का कार्यक्रम एक राज्य योजना है और इसके लिए प्रावधान, राज्य आयोजनाओं में किए जाते हैं। केन्द्र सरकार शहरी निर्धनों के लिये कोई प्रवर्तित दो योजनायें अर्थात् नेहरू रोजगार योजना (एन आर वाई) और निर्धनों के लिए शहरी बुनियादी सेवा (यू.बी.एस.पी.) चला रही है। एन.आर.वाई. अक्तूबर, 1989 और यू.बी.एस.पी. 1990 में प्रारम्भ हुई। योजनाओं की शुरूआत से राज्य सरकारों को एन.आर.वाई. और यू.बी.एस.पी. के तहत क्रमश: 431.39 करोड और 57.08 करोड रु० रिलीज किए गये हैं ;

(ग) एन.आर.वाई.और यू.बी.एस.पी. योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकार केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार योजनाएं शुरू करन के लिए प्राधिकृत है। इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव योजना अपेक्षित नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में शहरी गन्दी बस्तियों में जल-निकासी की सुविधाएं

3471. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश की शहरी गंदी बस्तियों में बरसाती पानी के निकास की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी राशि स्वीकृति/आवंटित की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) शहरी स्लमों में जल-निकासी और अन्य सुविधाओं अधिकांशत: शहरी स्लमों के पर्यावरणीय सुधार (ई.आई.यू.एम.) की राज्य क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार यह योजना पिछले 3 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के 46 कस्बों में चालू की थी।

जल निकासी के लिए अलग से कोई नियतन नहीं किया जाता है। शहरी स्लमों के पर्यावरणीय सुधार के अन्तर्गत शहरी स्लमों के सुधार हेतु नियतित/स्वीकृत घटक जल-निकासी सहित 7 सुविधाएं मुहैया करने के लिए है। जल-निकासी घटक की लागत स्लम परियोजना की कुल लागत का लगभग 45% आंकी गई है।